

## समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो० सोहैल, भा० प्र० से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 17-10-2016 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति :-** पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र०	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
2.	अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
3.	कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा	न्यायालय कार्य से पटना गये।
4.	कार्यपालक दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
5.	प्रखण्ड विकास पदा०, मुरलीगंज	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
6.	प्रखण्ड विकास पदा०, ग्वालपाड़ा	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
7.	प्रखण्ड विकास पदा०, बिहारीगंज	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
8.	प्रखण्ड विकास पदा०, चौसा	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
9.	अंचलाधिकारी, मधेपुरा	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
10.	अंचलाधिकारी, सिंहेश्वर	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
11.	अंचलाधिकारी, कुमारखंड	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
12.	अंचलाधिकारी, मुरलीगंज	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
13.	अंचलाधिकारी, ग्वालपाड़ा	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
14.	अंचलाधिकारी, उदाकिशुनगंज	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
15.	अंचलाधिकारी, चौसा	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
16.	अंचलाधिकारी, पुरैनी	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
17.	अंचलाधिकारी, बिहारीगंज	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।
18.	अंचलाधिकारी, आलमनगर	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त।

(अनुपालन-प्रभारी पदा०, जिला गोपनीय शाखा)

➤ सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक हेतु निम्नांकित विभागों की समीक्षा विभागवार की गयी :-

क्र०	संबंधित विभाग /पदा० का नाम	इस सप्ताह में किए जाने वाले कार्य
1.	(राजस्व) सभी अंचलाधिकारी /प्रभारी पदा०, राजस्व	ऑपरेशन भूमि दखल देहानी अन्तर्गत अपलोड किए गए प्रपत्र-1 एवं पूर्व में प्राप्त प्रतिवेदन की तुलनात्मक विवरणी का अवलोकन किया गया, स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-

क्र 0	अंचल का नाम	गैर मजरुआ मालिक		गैर मजरुआ आम		अधिशेष भूमि		गैर मजरुआ आम (2014-15 तक)		क्रयनीति		भूदान		कुल सं०		अंतर
		प्रतिवेदन 15 ए के अनुसार लाभान्वितों की सं०	प्रपत्र-1 में अपलोड किये गये लाभान्वितों की सं०	प्रतिवेदन 15 बी के अनुसार लाभान्वितों की सं०	प्रपत्र-1 में अपलोड किये गये लाभान्वितों की सं०	प्रतिवेदन 9 ए के अनुसार लाभान्वितों की सं०	प्रपत्र-1 में अपलोड किये गये लाभान्वितों की सं०	प्रतिवेदन 18 के अनुसार लाभान्वितों की सं०	प्रपत्र-1 में अपलोड किये गये लाभान्वितों की सं०	प्रतिवेदन के अनुसार लाभान्वितों की सं०	प्रपत्र-1 में अपलोड किये गये लाभान्वितों की सं०	प्रतिवेदन के अनुसार लाभान्वितों की सं०	प्रपत्र-1 में अपलोड किये गये लाभान्वितों की सं०	प्रतिवेदन के अनुसार लाभान्वितों की सं०	प्रपत्र-1 में अपलोड किये गये लाभान्वितों की सं०	
1	मधेपुरा	2142	216	268	89	851	499	95	95	536	536	1050	1050	4942	2485	2457
2	घैलाढ़	379	258	34	14	92	92	140	140	420	401	110	104	1175	1009	166
3	सिंहश्वर	943	843	860	62	195	195	1366	1366	826	826	295	295	4485	3587	898
4	गम्हरिया	743	228	134	134	72	72	271	271	337	337	99	75	1656	1117	539
5	शंकरपुर	1045	1045	23	23	277	277	395	395	356	356	1431	1318	3527	3414	113
6	मुरलीगंज	281	281	27	27	1839	887	697	697	374	271	1072	527	4290	2690	1600
7	कुमारखंड	597	199	220	30	881	855	2002	2002	756	747	1323	1323	5779	5156	623
8	ग्वालपाड़ा	637	478	594	0	722	211	292	292	694	617	850	594	3789	2192	1597
9	उदाकिशुनगंज	428	111	10	0	280	280	887	887	532	484	990	743	3127	2505	622
10	बिहारीगंज	714	714	50	25	280	280	556	556	310	271	327	228	2237	2074	163
11	पुरैनी	295	124	157	0	316	316	808	808	177	177	26	10	1779	1435	344
12	चौसा	1325	833	993	0	444	444	1176	1176	188	188	531	250	4657	2891	1766
13	आलमनगर	1205	501	382	1	1065	995	1783	1575	402	402	418	255	5255	3729	1526
कुल योग		10734	5831	3752	405	7314	5403	10468	10260	5908	5613	8522	6772	46698	34284	12414

जिलाधिकारी द्वारा सभी अंचलाधिकारी को गैर मजरुआ मालिक /आम /अधिशेष भूमि /भूदान आदि की जमीन में पाये जाने वाले अंतर के संबंध में स्थलीय जांच कर अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि यदि उक्त संबंधित भूमि नहीं है, तो उक्त आशय का प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध करावें। बताया गया कि ग्वालपाड़ा, उदाकिशुनगंज, पुरैनी एवं चौसा में गैर मजरुआ आम की भूमि शून्य है। संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि जांच कर अविलम्ब कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

ऑपरेशन दखल देहानी /अभियान बसेरा /अतिक्रमण (सभी अंचलाधिकारी)

ऑपरेशन दखल देहानी :- ऑपरेशन दखल देहानी की समीक्षा की गयी। बताया गया कि मात्र 04 निम्नांकित अंचल में ऑपरेशन दखल देहानी का मामला लंबित है :-

- 1-मधेपुरा- बताया गया कि 122 मामलों लंबित है।
- 2-घैलाढ़ - बताया गया कि 14 मामलों लंबित है।
- 3-मुरलीगंज - बताया गया कि 09 मामलों लंबित है।
- 4-आलमनगर - बताया गया कि 03 मामलों लंबित है।

अभियान बसेरा :- बताया गया कि अभियान बसेरा में घैलाढ़ में 05, गम्हरिया में 53 मामलों लंबित है। अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि संबंधित मुखिया से इस संबंध में वार्ता की गयी है, तदोपरान्त आम सभा आयोजित कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

अतिक्रमण :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि घैलाढ़ में 01 मामलों लंबित है। अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मठाही बाजार का मामला है, जिसमें आलोक में कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करें।

2. (आपूर्ति /एस0एफ0सी0) जिला आपूर्ति पदा0 /जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आज 04:00 बजे अप0 में मुख्य सचिव महोदय द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिप्राप्ति आदि की समीक्षा की जाएगी। अतएव सभी वांछित प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उक्त विडियो कॉन्फ्रेंस के पूर्व उपलब्ध करावेंगे। यह भी पृच्छा की गयी कि दोषी कर्मियों के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ गठित कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किया जाना था तथा नीलाम पत्र वाद दायर कर कार्रवाई की गयी है अथवा नहीं। बताया गया कि कुल 04 दोषी कार्यपालक सहायक के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है, प्राथमिकी भी दर्ज की गयी है, नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि ससमय कार्रवाई

सुनिश्चित करें।

**खाद्यान्न का उठाव :-** समीक्षा के क्रम में जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0 से पृच्छा की गयी कि उठाव हो रहा है अथवा नहीं, तो बताया गया कि आज से उठाव हो रहा है, बताया गया कि बगैर जी0पी0एस0 का भी उठाव हो रहा है। उन्होंने सूचित किया कि माह सितम्बर, 2016 का कुल 400 एस0आई0ओ0 बचा है, शेष बंट गया है। जिलाधिकारी द्वारा खेद प्रकट किया गया कि माह सितम्बर का अभी तक पूर्ण क्यों नहीं किया गया, तो इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा सकी। निदेश दिया गया कि ससमय खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण करावें।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि डोर स्टेप डिलीवरी हेतु 13 प्रखण्ड से निविदा हेतु फॉर्म की बिक्री हो चुका है। नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

3. (इंदिरा आवास)  
सभी प्र0वि0पदा0  
/उप विकास आयुक्त

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-287495, दिनांक 13-10-2016 द्वारा प्रखण्ड कार्यालयों द्वारा निर्माणाधीन इंदिरा आवास को पूर्ण कराने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध निम्नांकित असंतोषजनक उपलब्धि के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्र0	प्रखंड का नाम	वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक का कुल भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक कुल स्वीकृत आवास	वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक का कुल पूर्ण आवास	वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक स्वीकृत आवास के विरुद्ध पूर्ण किये गये आवास का प्रतिशत
01	बिहारीगंज	3637	3319	36	1.08
02	उदाकिशुनगंज	4968	8596	220	2.56
03	मधेपुरा	5219	9982	462	4.63
04	सिंहेश्वर	3555	3480	211	6.06
05	घैलाढ़	2661	4017	245	6.10
06	कुमारखंड	6868	14353	1148	8.00
07	आलमनगर	4582	6554	638	9.70

उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से इस आशय का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से विभाग को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई करें एवं अनुपालन से आगामी सौमवारीय बैठक में अवगत करावें।

4. (पेंशन) सभी  
प्र0वि0पदा0  
/सहायक निदेशक,  
सा0सु0को0

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि द्वितीय चरण का पेंशन की लाभुकों का नाम इन्ट्री करवाया जा रहा है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कुल 1 लाख 29 हजार पेंशनधारी इस जिला में है, जिसमें लगभग 10 हजार का नाम गलत है, जिसे जांच-पड़ताल कर छांटने की कार्रवाई की जा रही है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वैसे पेंशनधारी, जिसका नाम-पता नहीं मिल पा रहा है, संबंधित इंदिरा आवास सहायक को भेजकर सही तरीके से जांच-पड़ताल अविलम्ब करावें तथा नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

		इसी प्रकार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि आगामी सोमवारीय बैठक के पूर्व सभी का जांच कर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।
5.	(स्वच्छ भारत मिशन) डी0सी0 /प्र0वि0पदा0 /उप विकास आयुक्त	<p><b>शौचालय निर्माण की स्थिति :-</b> समीक्षा के क्रम में जिला समन्वयक द्वारा बताया गया कि बताया गया कि सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है। कुल 25 पंचायत में लगभग 39 हजार परिवार हैं, जिसका कम्प्युटर पर डाटा इन्ट्री ऑनलाईन के माध्यम से कराया जा रहा है, अभी तक 02 पंचायत को पूर्ण करा दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु विजय श्री प्रेस एजेंसी द्वारा कुल 06 ऑपरेटर दिया गया है। निदेश दिया गया कि 04 कम्प्युटर ऑपरेटर को और बढ़ावे तथा शिफ्ट बनाकर कार्य को एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करावें। यह भी निदेश दिया गया कि जो वार्ड छोटा है, पहले उसकी इन्ट्री करायी जाए, ताकि जिस वार्ड में इन्ट्री का कार्य पूर्ण हो जाता है, वहां पर अन्य कार्य हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।</p> <p>डी0पी0एम0, जीविका को निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p>
6.	(पंचायती राज) जिला पंचायत राज पदाधिकारी	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिलान्तर्गत नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि को चिन्हित कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश विभाग द्वारा दिया गया है, अतएव जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
7.	(सर्वशिक्षा) जिला कार्यक्रम पदा0, सर्वशिक्षा	<p>जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आधार कार्ड बनाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है तथा दिनांक 17-10-2016 से आधार कार्ड बनाये जाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-287388, दिनांक 07-10-2016 के द्वारा विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- नोडल पदाधिकारी, आधार, पटना के आदेशानुसार मधेपुरा जिला में कक्षा 01 से 12 तक के छात्र /छात्राओं एवं स्थानीय लोगों का आधार कार्ड पंजीकरण हेतु तीन चरणों में विशेष शिविर का आयोजन जिले के सभी प्रखण्डों के चिन्हित उच्च विद्यालयों में किया जा रहा है, जो निम्न प्रकार है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रथम चरण - 17-10-2016 से 20-10-2016 तक</li> <li>2. द्वितीय चरण - 21-10-2016 से 24-10-2016 तक</li> <li>3. तीसरा चरण - 25-10-2016 से 27-10-2016 तक</li> </ol> <p>कुल 30 उच्च /उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधार पंजीकरण का कार्य सम्पन्न होना है।</p> <p>चिन्हित विद्यालयों में आधार पंजीकरण हेतु आयोजित विशेष शिविर हेतु अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गयी है। अगर फिर भी विद्युत सेवा बाधित होता है, तो स्थानीय पदाधिकारी (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी) से अविलम्ब सम्पर्क कर इसका समाधान करने एवं जेनरेटर की सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त है।</p> <p>जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p> <p><b>शिक्षकों का स्थानांतरण :-</b> निदेश दिया गया कि पहले सभी शिक्षकों से पदस्थापन हेतु 3 ऑप्शन मांग की जाए, जिसमें महिला तथा विकलांग शिक्षकों को</p>

		<p>प्राथमिकता के आधार पर पदस्थापन /स्थानांतरण सूची तैयार कर ली जाए, ताकि उनका स्थानांतरण उनके इच्छानुसार किया जा सके। उसके पश्चात् अनुमण्डलवार वार सभी शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा।</p> <p><b>शिक्षकों का वेतन भुगतान :-</b> निदेश दिया गया कि सभी शिक्षकों का वेतन ससमय भुगतान करें।</p>																																																																				
8.	(कल्याण) जिला कल्याण पदा0	<p>जिलाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में पाया गया था कि मधेपुरा जिला से संबंधित प्रतिवेदन ससमय विभाग को नहीं प्रेषित की जाती है, फलस्वरूप विभाग स्तर पर कल्याण की प्रगति शून्य पायी जाती है। जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह कल्याण विभाग की प्रगति प्रतिवेदन ससमय भेजी जाए।</p> <p>यह भी निदेश दिया गया कि छात्रावास की देख-रेख ससमय की जाए। सभी विकास मित्रों का मानदेय ससमय भुगतान किया जाए। साथ ही वर्कशेड का निर्माण करने वाले विकास मित्रों को अपने स्तर से निदेशित करें कि ससमय कार्य पूर्ण करें।</p>																																																																				
9.	(अल्पसंख्यक कल्याण) जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदा0	<p>जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0</th> <th>योजना का नाम</th> <th>छात्रवृत्ति वर्ष</th> <th>कुल लाभुकों की सं0</th> <th>परीक्षा</th> <th>विगत सप्ताह अवशेष छात्रों की सं0</th> <th>इस सप्ताह का वितरण</th> <th>अवशेष वितरण योग्य छात्रों की सं0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना</td> <td rowspan="2">2015</td> <td>168</td> <td>मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ</td> <td>4</td> <td>01</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>447</td> <td>मैट्रिक द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ</td> <td>56</td> <td>05</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना</td> <td rowspan="2">2015</td> <td>366</td> <td>इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ</td> <td>27</td> <td>30</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>343</td> <td>इंटर द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ</td> <td>72</td> <td>07</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना</td> <td>2014</td> <td>11</td> <td>इंटर दूसरी श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना</td> <td rowspan="2">2016</td> <td>83</td> <td>इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ</td> <td>28</td> <td>06</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>190</td> <td>इंटर दूसरी श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ</td> <td>105</td> <td>09</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना</td> <td rowspan="2">2016</td> <td>172</td> <td>मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ</td> <td>45</td> <td>19</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>378</td> <td>मैट्रिक द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ</td> <td>170</td> <td>31</td> <td>139</td> </tr> </tbody> </table> <p>निदेश दिया गया कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के साथ नियमित बैठक कर, संबंधित छात्रों की सूची प्राप्त करें तथा नियमानुसार वितरण करावें। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यालय में कर्मियों के कारण कार्यों के ससमय निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न होती है। जिलाधिकारी द्वारा जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि आवश्यकतानुसार उम्मीदवार सेवकों को उक्त कार्य हेतु लगावें, ताकि वे घर-घर जाकर छात्रों को पत्र पहुंचा सके। यदि विद्यार्थी बाहर रहते हैं, तो संबंधित अभिभावक से लिखाकर कार्यालय को सूचित करेंगे।</p> <p>National Scholarship Portal पर शिक्षण संस्थानों का पंजीकरण करने संबंधी समीक्षा की गयी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि</p>	क्र0	योजना का नाम	छात्रवृत्ति वर्ष	कुल लाभुकों की सं0	परीक्षा	विगत सप्ताह अवशेष छात्रों की सं0	इस सप्ताह का वितरण	अवशेष वितरण योग्य छात्रों की सं0	1	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2015	168	मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	4	01	03	447	मैट्रिक द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	56	05	51	2	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2015	366	इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	27	30	27	343	इंटर द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	72	07	65	3	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2014	11	इंटर दूसरी श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	0	0	0	4	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2016	83	इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	28	06	22	190	इंटर दूसरी श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	105	09	96	5	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2016	172	मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	45	19	26	378	मैट्रिक द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	170	31	139
क्र0	योजना का नाम	छात्रवृत्ति वर्ष	कुल लाभुकों की सं0	परीक्षा	विगत सप्ताह अवशेष छात्रों की सं0	इस सप्ताह का वितरण	अवशेष वितरण योग्य छात्रों की सं0																																																															
1	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2015	168	मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	4	01	03																																																															
			447	मैट्रिक द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	56	05	51																																																															
2	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2015	366	इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	27	30	27																																																															
			343	इंटर द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	72	07	65																																																															
3	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2014	11	इंटर दूसरी श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	0	0	0																																																															
4	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2016	83	इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	28	06	22																																																															
			190	इंटर दूसरी श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	105	09	96																																																															
5	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2016	172	मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	45	19	26																																																															
			378	मैट्रिक द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राएँ	170	31	139																																																															

मधेपुरा जिलान्तर्गत कुल पंजीकृत संस्थानों की संख्या-1627 है, जिसमें 1608 को युजर आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है।

इसी प्रकार एन0एस0पी0 पर छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन की समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि प्री-मैट्रिक स्कोलरशीप योजना (अल्पसंख्यक) अन्तर्गत प्राप्त आवेदन 20 है, जबकि पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप योजना (अल्पसंख्यक) अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 141 है।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जितनी भी संस्थाएँ हैं, वे अपने स्तर से ही ऑनलाईन करवायेंगे, अतएव जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि यह पता चल सके कि किस विद्यालय का इन्ट्री हुआ है अथवा नहीं।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर सभी बी0आर0पी0 की बैठक बुलाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि प्रखण्डवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा सकी। निदेश दिया गया कि प्रखण्डवार /विद्यालयवार प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

यह भी निदेश दिया गया कि National Scholarship Portal & N.S.P पर छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी प्रतिवेदन में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या सहित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्रत्येक शनिवार की संध्या में उपलब्ध करायेंगे, ताकि सोमवारीय बैठक में इसकी समीक्षा की जा सके।

आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उक्त डाटा को प्रखण्डवार /विद्यालयवार संकलित करें एवं आगामी बैठक में वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

10. (योजना) जिला योजना पदा0

जिला योजना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी, स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-

1-सांसद क्षेत्र विकास योजना :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2011-12 एवं 2016-17 में कुल 93 योजना में से 64 पूर्ण, 29 अपूर्ण तथा 01 स्थगित है, जबकि इस सप्ताह की प्रगति शून्य है।

2-मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना :- बताया गया कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 अन्तर्गत कुल 485 योजना में से 399 पूर्ण, 75 अपूर्ण तथा 11 स्थगित है एवं इस सप्ताह में 06 प्रगति पर है।

इसी प्रकार सांसद आदर्श ग्राम योजना, शहरी विकास योजना की समीक्षा की गयी एवं प्रगति शून्य पायी गयी, जिस पर खेद प्रकट किया गया। निदेश दिया गया कि उपरोक्त सभी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लायी जाए।

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहारीगंज के शास्त्री नगर से जवाहर चौक तक तथा जवाहर चौक से बिहारीगंज बायपास जाने वाली सड़क की स्थिति काफी जर्जर /खराब पायी गयी है। जिला योजना पदा0 /कार्य0अभि0, स्थानीय क्षेत्र अभि0संगठन कार्य प्र0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त सड़क किस संवेदक के द्वारा बनाया गया, किस वर्ष बनाया गया तथा किस कनीय /सहायक अभियंता के पर्यवेक्षण में बनाया गया, से संबंधित सूचना आज ही उपलब्ध

		<p>करावें।</p> <p>इसी प्रकार सांसद एवं विधायक मद की योजना की समीक्षा की गयी, स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-</p> <p><b>सांसद योजना :-</b> बताया गया कि श्री शरद यादव, माननीय सांसद (राज्यसभा) के मद अन्तर्गत कुल 156 अनुशंसित योजनाओं में से 43 की स्वीकृति हो गयी, जिसमें 07 योजना पूर्ण तथा 36 योजना अपूर्ण है। जबकि श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव, माननीय सांसद (लोकसभा) के मद में कुल 292 अनुशंसित योजना में से 220 का स्वीकृति हो गयी है, जिसमें 187 योजना पूर्ण हो गया है, जबकि 23 योजना अपूर्ण है।</p> <p>इसी प्रकार माननीय पार्षद श्री विजय कुमार वर्मा के मद में कुल अनुशंसित 18 योजना में से 10 में प्राक्कलन प्राप्त हो चुका है, जबकि 07 योजना स्वीकृत किया गया है। कुल 11 योजना लंबित है, जिसमें 03 योजना में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। बताया गया कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग हेतु संबंधित पदाधिकारी को निदेशित किया गया है। संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब अनापत्ति प्रमाण-पत्र भेजना सुनिश्चित करें।</p>
11.	(डूडा) कार्य0अभि0, डूडा /जिला योजना पदा0	<p>समीक्षा के क्रम में पाया गया कि डूडा अन्तर्गत सभी योजना पूर्ण हो गया है। कला भवन के बारे में पृच्छ की गयी, बताया गया कि पूर्ण हो गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आज कला भवन का भ्रमण किया जाएगा कि वास्तव में कार्य पूर्ण हो गया है अथवा नहीं।</p>
12.	(ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिथुनगंज)	<p>समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिथुनगंज अहमदाबाद प्रशिक्षण में गये हैं, दिनांक 23-10-2016 को मुख्यालय वापस आयेंगे।</p> <p>जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिथुनगंज की समीक्षा दिनांक 29-10-2016 को की जाएगी, फलस्वरूप संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वांछित तैयारी के साथ बैठक में ससमय सभी संवेदक /कनीय /सहायक अभियंता को भाग लेने हेतु निदेशित करेंगे।</p>
13.	(परिवहन) जिला परिवहन पदा0	<p>जिलाधिकारी द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि बिना हेलमेट पहने हुए मोटरसाइकिल वाहन चालकों की जांच की जाए एवं नियमानुसार जुर्माना वसूला जाए। साथ ही अवैध होर्डिंग को हटाने का निदेश दिया गया।</p> <p>कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि चौसा चौक के पास से काफी मात्रा में ओभरलोडिंग वाहन चलती है, जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है। जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p>
14.	(ट्राईसाइकिल) सहायक निदेशक, सा0सु0को0	<p>सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि विकलांग व्यक्ति के लिए ट्राईसाइकिल हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि प्रेस विज्ञप्ति जारी करें एवं समय-सीमा तय कर आवेदन प्राप्त करें, तत्पश्चात् नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करें।</p>

15. (श्रम संसाधन) श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	<p>जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन, श्रमिकों का निबंधन आदि की समीक्षा की गयी एवं श्रम अधीक्षक, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जिलान्तर्गत जितने भी दुकान /प्रतिष्ठान है, सभी दुकानों का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को अपने स्तर से निदेशित करें।</p> <p>यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह कितना नोटिस निर्गत हुआ है, उसका प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवारीय बैठक के पूर्व उपलब्ध करावें।</p> <p>निदेश दिया गया कि एक माह के अंदर जिला के सभी दुकानों का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए, इसे हरहाल में सुनिश्चित करें।</p>
16. (माप-तौल) निरीक्षक, माप-तौल	<p>जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिलान्तर्गत जितने भी पेट्रोल पम्प हैं, उसकी जांच किया जाना आवश्यक है। निरीक्षक, माप-तौल एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p>
17. (आई0सी0डी0एस0) जिला प्रोग्राम पदा0	<p>समीक्षा के क्रम में बताया गया कि बिहारीगंज प्रखण्ड का मैपिंग पंजी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि अन्य प्रखण्ड से मैपिंग पंजी प्राप्त हो चुके हैं। निदेश दिया गया कि अविलम्ब बिहारीगंज प्रखण्ड का मैपिंग पंजी की मांग करें एवं अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p> <p>समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूरे जिला में एक ही साथ आम सभा आयोजित किया जाना श्रेयस्कर होगा, अतएव सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 25-10-2016 को 11:00 बजे पूर्वा0 से 02:00 बजे अप0 के बीच आम सभा की तिथि निर्धारित की जाए।</p> <p>यह भी निदेश दिया गया कि तैयार किए जाने वाले प्रपत्र /कार्यवाही एक ही समरूप बनाया जाए, ताकि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सही ढंग से उसे भर सके तथा किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं हो सके।</p> <p>जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मैपिंग पंजी में बदलाव संबंधी अधिकांश शिकायत प्राप्त होती है, अतएव जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी मैपिंग पंजी की फोटोकॉपी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को उपलब्ध करावें। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी मैपिंग पंजी को स्कैन कर प्रखण्डवार /पंचायतवार /वार्डवार जिले के वेबसाईट पर अपलोड करें।</p>
18. (विद्युत) कार्य0अभि0, विद्युत	<p>जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 19-10-2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में विद्युत वितरण की समीक्षा विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि सभी आवश्यक तैयारी ससमय सुनिश्चित कर लें तथा वांछित प्रतिवेदन आज ही उपलब्ध करा दें।</p> <p>राजस्व वसूली :- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि राजस्व वसूली में वृद्धि हुई है। निदेश दिया गया कि अधिक से अधिक राजस्व की वसूली करें।</p> <p><u>रीडिंग /बिलिंग</u> :- बताया गया कि ऑनस्पोर्ट रीडिंग एवं बिलिंग का कार्य किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि अपेक्षित प्रगति लायी जाए।</p> <p>जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है कि बिहारीगंज बाजार क्षेत्र में शाम के बाद लाईन काट दिया जाता है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p>



19.	(विद्युत परियोजना) कार्य0अभि0, विद्युत परियोजना	कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना द्वारा बताया गया कि कुल 30 पंचायत में कैम्प लगाया गया था, जिसमें लगभग 1700 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बताया गया कि कुल 1 लाख 64 हजार परिवारों को बी0पी0एल0 कनेक्शन दिया जाना है, जिसमें से लगभग 45 हजार 424 हो चुके हैं। निदेश दिया गया कि किस पंचायत में कितना बी0पी0एल0 कनेक्शन लगाया गया है, उसकी सूची पंचायतवार आज ही उपलब्ध करावें।
20.	(सहकारिता) जिला सहकारिता पदा0	समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सी0एम0आर0 प्राप्ति के विरुद्ध वसूली अधिक से अधिक की जाए। साथ ही फसल कटनी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया।
21.	(पथ) कार्य0अभि0, पथ प्रमण्डल	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहारीगंज अन्तर्गत कई सड़कों की स्थिति काफी जर्जर है, जिसका मरम्मत नियमानुसार कराया जाना आवश्यक है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं अनुपालन से अवगत करावें।
22.	(एन0एच0) कार्य0अभि0, एन0एच0	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि एन0एच0 सड़क में भी कई जगहों पर काफी गड्ढे हो गये हैं, जिसकी मरम्मत किया जाना वांछनीय है। बताया गया कि एन0एच0-107 पूर्णियाँ वाली रोड में कार्य किया जा रहा है। जबकि एन0एच0 106 में भी कार्य चलने की जानकारी कार्यपालक अभियंता द्वारा दी गयी। निदेश दिया गया कि कार्य विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप करावें, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा।
23.	(नगर परिषद्, मधेपुरा)	समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि नगर परिषद्, मधेपुरा की साफ-सफाई नियमित रूप से करें। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कुछ जगह पर समस्या उत्पन्न हो रही है। निदेश दिया गया कि इसके लिए गृह रक्षक /पुलिस बल की तैनाती हेतु नियमानुसार अधियाचना समर्पित करें, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। यह भी निदेश दिया गया कि नगर परिषद्, मधेपुरा के सभी सफाई कर्मियों को अन्य कार्य हेतु प्रतिनियुक्त करें, ताकि सड़क की नियमित सफाई में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो सके।
24.	(नगर पंचायत, मुरलीगंज)	समीक्षा के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज द्वारा बताया गया कि सभी जगह साफ-सफाई का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। सभी जगह एल0ई0डी0 लगा दी गयी है।
25.	(पुल निर्माण निगम)	कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि भागलपुरिया रोड में एक समस्या है, शेष अन्य जगह पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अंचलाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
26.	(नीलाम पत्र)	जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी प्रकार के नीलाम पत्र के निष्पादन हेतु अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
27.	(भवन) कार्य0अभि0, भवन	समीक्षा के क्रम में बताया गया कि तीनों प्रखण्ड के जमीन का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त ए0डी0एम0 क्वार्टर /एस0डी0सी0 क्वार्टर के निर्माण को

		दिनांक 18-10-2016 से प्रारंभ करने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही भवन प्रमण्डल अन्तर्गत निर्माणाधीन अन्य कार्यों के संबंध में निदेश दिया गया कि ससमय कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
28	(निर्वाचन) उप निर्वाचन पदा०	समीक्षा के क्रम में उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोशी शिक्षक स्नातक निर्वाचन संबंधी प्रपत्र सभी संबंधितों को उपलब्ध करा दी गयी है। इस संबंध में कैम्प आयोजित किया गया था, जिसमें प्रपत्र 6,7 एवं 8 प्राप्त हुए हैं। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-उपरोक्त सभी संबंधित पदाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

*Pan*  
आशुलिपिक

*[Signature]*  
जिलाधिकारी  
मधेपुरा।

जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

ज्ञापांक.....2525...../गो०, मधेपुरा, दिनांक.....18/10/16.....

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /डी०पी०एम०, जीविका, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /डी०आई०ओ०, मधेपुरा /सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एम०डी०एम०, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, एन०एच० प्रमण्डल, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर एवं लघु जल संसाधन, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, मधेपुरा /सहरसा /जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला स्थापना उप समाहर्ता, मधेपुरा /आई०टी० मैनेजर, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Pan*  
आशुलिपिक

*[Signature]*  
जिलाधिकारी  
मधेपुरा।

जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।